

ग्राम पंचायत मंजीर, विकास खण्ड व तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के

लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मंजीर, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति रोशनी देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री नरेन्द्र ठाकुर	23-1-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री मुकेश कुमार	30-08-12 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {रुलाखों में }
1	6	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना।	0.17
2	7	अनुदानों का अवरोधन।	12.33

3	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीद करने बारे ।	4.95
4	10	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करने बारे ।	4.95
5	12	अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे	0.14

भाम दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत मंजीर , विकास खण्ड सलूणी , जिला चम्बा के अवधि 01/4 /2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04-01-2018 से 06-01-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय मंजीर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/15, 06/15 व 02/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 06/14, 07/15 व 02/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत मंजीर, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5400/-बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:09 दिनांक 06-01-18 द्वारा सचिव,पंचायत मंजीर से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत मंजीर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि

1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत मंजीर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्रोत की

वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	265732	48452	314184	20732	293452
2015-16	293452	64889	358341	18721	339620
2016-17	339630	36797	376417	51399	325018

{ख} अनुदान :-ग्राम पंचायत, मंजीर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की

वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है,जिसका विस्तृत विवरण सलग्ग परिशिष्ट -

1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	679279	1416435	2095714	1047939	1047775
2015-16	1047775	1413662	2461437	1655034	806403
2016-17	806403	3835964	4642367	3409272	1233095

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPSCB salooni	18910103719	926902
2.	HPSCB salooni	18910103719	631211
जोड़			1558113

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 1558113

(ख)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):-₹ 1558113

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत मंजीर की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था 1 जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते }नियम 2002 के नियम 7

(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करने का प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ जांच नहीं की जा सकी। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.17 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-3-17 तक पंचायत राजस्व ₹17400 की वसूली शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए।

(क) गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	15180	8700	23880	0	23880
2015-16	23880	8700	32580	23880	8700
2016-17	8700	8700	17400	0	17400

7 अनुदान ₹12.33 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान ₹ 12.33 लाख उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 रसीद बुकें प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में चयनित माह की रसीद बुकें अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में चयनित माह में प्राप्त आय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी, जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः रसीद बुकों को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इन्हें आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.95 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹ 4.95 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय की गई ₹4.95 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1) (ए, बी, सी, व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27, व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/14 से 3/17 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-3 पर दिए गए विवरणानुसार ₹4.95 लाख की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है। जो कि एक गम्भीर मामला है। अतः नियमानुसार उक्त वर्णित सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

11 निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट -3 में दिए गए विवरण के अनुसार पत्थर की 79.30 फरी(ढेर) की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु पत्थरों की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके अभाव में पत्थर व रेत की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जो कि एक गम्भीर मामला है अतः मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में जाँच हेतु लाया जाता है तथा पत्थर की मात्रा के स्थान पर केवल फरी दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

12 मनरेगा निधि के ₹0.14 लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि वाउचर न० 95 माह 02/17 मस्टररोल ₹14280/- रोकड़ बही पृष्ठ 71 को आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की सकी। अतः उक्त मस्टररोल को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बंधित ले की जाए।

13 विहित रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार विहित रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

14 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

16 लघु-आपति विवरणिका:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्ष :-लेखों के रख-रखाब में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7)27 / 2018 खण्ड-1-4522-4525 दिनांक27.06.2018
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत मंजीर, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा हि0प्र0

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881